

सूचना के अधिकार हेतु मार्गदर्शिका

राजस्थान सरकार
गृह (गुप-5) विभाग

क्रमांक : एफ.9(23)गुप-5/2005

जयपुर, दिनांक : 14-10-2005

अधिसूचना

राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 27) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में "राजस्थान राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स, 2005", जो राजस्थान राजपत्र भाग 4 (ग) उप-खण्ड, पृष्ठ के असाधारण विशेषांक दिनांक 13-10-2005 में प्रकाशित हुए हैं, का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ .- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सूचना का अधिकार नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- परिभाषाएँ .- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, --
(क) "अधिनियम" से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 22), अभिप्रेत है।
(ख) "आयोग" से राजस्थान सूचना आयोग अभिप्रेत है।
(ग) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
(2) इसमें प्रयुक्त किन्तु परिभाषित नहीं किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में समनुदेशित किया गया है।
- आवेदन फीस .- धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना अभिप्राप्त करने के किसी अनुरोध के साथ, समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में दस रुपये की आवेदन फीस दी जायेगी।
- सूचना देने के लिए फीस .- (1) धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :-
(क) बनाये गये या नकल किये गये प्रत्येक पृष्ठ (ए-4 या ए-3 आकार के कागज में) के लिए दो रुपये
(ख) बड़े आकार के कागज में किसी प्रतिलिपि का वास्तविक प्रभार या लागत कीमत
(ग) सैम्पल या माडल के लिए वास्तविक लागत कीमत और
(घ) अभिलेखों के निरीक्षण के लिए, प्रथम घण्टे के लिए कोई फीस नहीं और उसके पश्चात् प्रत्येक पन्द्रह मिनट या उसके भाग के लिए पांच रुपये की फीस।
(2) धारा 7 की उप-धारा (5) के अधीन सूचना देने के लिए समुचित रसीद के पेटे नकद के रूप में या लोक प्राधिकारी को संदेय मांगदेय ड्राफ्ट या बैंकर्स चैक के रूप में फीस निम्नलिखित दरों से प्रभारित की जायेगी :-
(क) डिस्क या फ्लोपी में दी गयी सूचना के लिए प्रति डिस्क या फ्लोपी पचास रुपये और
(ख) मुद्रित रूप में दी गयी सूचना के लिए ऐसे प्रकाशन के लिए नियत कीमत पर या प्रकाशन से उद्धरणों की फोटोप्रति के प्रत्येक पृष्ठ के लिए दो रुपये।
- अपील की अन्तर्दृष्टि .- आयोग को की जाने वाली अपील में निम्नलिखित सूचना अन्तर्विष्ट होगी, अर्थात् :-
 - अपीलार्थी का नाम और पता,
 - राज्य लोक सूचना अधिकारी का नाम और पता,
 - संख्यांक और दिनांक सहित आदेश की विशिष्टियाँ जिसके विरुद्ध अपील की गयी है।
 - अपील किये जाने के संक्षिप्त तथ्य
 - प्रार्थना या अनुतोष के आधार
 - अधिनियम या नियमों के उपबन्ध

- (vii) प्रार्थना या चाहा गया अनुतोषय
 (viii) अपीलार्थी द्वारा सत्यापनय और
 (ix) कोई भी अन्य सूचना जो आयोग अपील को विनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे।
6. अपील के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज - आयोग को की जाने वाली प्रत्येक अपील के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किये जायेंगे, अर्थात् :-
- (i) उस आदेश की अनुप्रमाणित सत्य प्रतिलिपि जिसके विरुद्ध अपील की जा रही है,
 (ii) अपीलार्थी द्वारा अवलम्ब लिये गये और अपील में निर्देशित दस्तावेजों की प्रतिलिपियां, और
 (iii) अपील में निर्दिष्ट किये गये दस्तावेजों की अनुक्रमणिका।
7. अपील विनिश्चित करने की प्रक्रिया - अपील विनिश्चित करते समय आयोग -
- (i) संबंधित या हितबद्ध व्यक्ति से शपथ पर या शपथपत्र पर मौखिक और लिखित साध्य पर विचार करेगा,
 (ii) दस्तावेजों, लोक अभिलेख या उनकी प्रतिलिपियों का परिशीलन या निरीक्षण करेगा,
 (iii) प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से और ब्यौरों या तथ्यों की जाँच करेगा,
 (iv) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी या, यथास्थिति, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी को सुने जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है,
 (v) अन्य व्यक्ति को सुनेगाय और
 (vi) राज्य लोक सूचना अधिकारी, सहायक राज्य लोक सूचना अधिकारी, ऐसे वरिष्ठ अधिकारी, जिसने प्रथम अपील को विनिश्चित किया है या अन्य व्यक्ति से शपथपत्र पर साक्ष्य अभिप्राप्त करेगा।
8. आयोग द्वारा नोटिस की तामील - आयोग द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस निम्नलिखित में से किसी भी रीति तामील किया जा सकेगा, अर्थात् :-
- (i) पक्षकार द्वारा स्वयं तामील करकेय
 (ii) आदेशिका तामीलकर्ता के जरिए दस्ती परिदान करकेय
 (iii) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा।
9. आदेश का हस्ताक्षरित किया जाना - खुली कार्यवाहियों में सुनाया गया आयोग का आदेश लिखित में होगा और रजिस्ट्रार या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा प्राधिकृत किसी भी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

राज्यपाल के आदेश से,

ह.

(वी.एस. सिंह)

प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु ब्रहित है -

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
7. निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, राजस्थान, जयपुर को असाधारण गजट के दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 के असाधारण गजट अंक में प्रकाशन हेतु।
8. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, जयपुर।
9. विधि (कॉन्डिफिकेशन) विभाग।
10. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार के द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो।
2. मंत्रिमंडल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खंड।
3. राजस्व आसूचना निदेशालय।
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो।
7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र।
8. विशेष सीमान्त बल।
9. सीमा सुरक्षा बल
10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल।
11. भारत तिब्बत सीमा बल।
12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।

सूचना के अधिकार हेतु मार्गदर्शिका

14. असम राइफल।
15. विशेष सेवा ब्यूरो।
16. विशेष शाखा (सी.आई.डी.) अंदमान और निकोबार।
17. अपराध शाखा-सी.आई.डी.-सी.बी., दादरा और नागर हवेली।
18. विशेष शाखा लक्षदीप पुलिस।

टी. के. विश्वनाथन
सचिव, भारत सरकार।